न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 45 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 169

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 जगमाल पुत्र जामताराम वगैरह	1 शिवलाल उर्फ सुजानाराम पुत्र भाकचन्द वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 01.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सियाग उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा धमाणा, पटवार हल्का–धमाणा के नवीन खसरा संख्या 457 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 458 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 460 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 495 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 0.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.70 हैक्टेयर हम प्रार्थीगण के बाप दादाओं की खातेदारी, कब्जाकाश्त की भूमि आई हुई है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त के नाम से उल्लेखित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि के पुराने नक्शे में तरमीम अनुसार सेढ़े पर वर्षों पुरानी माठे कायम थी तथा कांटो की पुरानी बाड़ भी की हुई थी लेकिन अप्रार्थीगण ने एक दुसरे से साठ गाठ कर मिलावट कर गिरोह बनाकर उक्त पुरानी माठ को अवैध व गैर कानूनी रूप से समतल कर दी तथा हमारे उक्त वादग्रस्त खेत में जबरन प्रवेश कर जेसीबी से चार पांच फीट गहरे गढ्ढे कर खड़ी बाजारी की फसल को नुकसान पहुंचाया हम प्रार्थीगण ने मना किया तो नहीं माने प्रार्थीगण के खेत के उतर पश्चिमी माठ पर पूर्व से बने रास्ते से हटकर प्रार्थीगण के खेत के अन्दर से नवीन सड़क निकालने हेतु आमदा है। अभी चार पांच रोज पूर्व प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकिया दी कि हम तुमारे खेत के अन्दर सड़क निर्माण करेंगे तथा तुमारे खिलाफ राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा कर तुमें जेल भिजवा देंगे। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण के खातदेरी , कब्जे काश्त की भूमि में अवैध व गैर कानूनी रूप से अन्दर सड़क निर्माण कर जबरन बेदखल करना चाहते है जिसे रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौजा धमाणा, पटवार हल्का–धमाणा के

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

वर्तमान खसरा नंबर 458 व 457 की आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की होने से उक्त आराजी में अप्रार्थीगण जबरन प्रवेश नहीं करें प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण के उक्त खेत में जेसीबी से माठ वगैरह नहीं तौडे न ही गढ्ढे वगैरह खोंदे न ही कच्चा पक्का किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें उक्त कार्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न अन्य किसी मजदूर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, ठेकेदार से करावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने की कृपा करावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरहद मौजा धमाणा, पटवार हल्का–धमाणा के नवीन खसरा संख्या 457 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि पर उभयपक्षकारान् मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर जिला–जालोर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)